

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

मिसल संख्या:-02 / 2024

--: आदेश :-

तहसीलदार खेतड़ी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131,132 व राजस्थान भू- राजस्व नियम, 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/925 दिनांक 20.12.2022 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार रास्ता मौके पर चालु है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है, को निम्नलिखित रूप से आदेश के संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में अकिंत दर्ज राजकीय भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार खेतड़ी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। प्रस्तुत प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस (प्रदर्श "अ" व "ब") इस आदेश के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी रास्ते का नामान्तकरण दर्ज कर रास्ते का नक्शे में लाल स्याही से अंकन करें। राजकीय भूमि में से चालू जमाबन्दी से पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी।

क्र. स.	नाम राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल	तहसीलदार खेतड़ी के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के मुताबिक रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के खसरा नम्बरान का विवरण
01	गाडराटा	गाडराटा	2968 / 841



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 202

प्रतिलिपी:-

दिनांक 05/03/2024

1. तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु वास्ते पालनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

